न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 389 / 2024

अनवान : –

1. सिलोचना पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. गुडडी उर्फ कृष्णा पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सरस्वती पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. शान्ति पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. इन्द्रा देवी पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. पृथ्वीसिंह पुत्र लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. महावीर पुत्र लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. रणवीर सिंह पुत्र लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीया**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 89 / 88 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण नें उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष मं तयाग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है। [illegible] से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:22 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने प्रतिवादी [illegible] कहा कि वादी के [illegible] हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु०)

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीया की माता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 89/88 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है व वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 89/88 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 389/2024
अनवान : –

1. सिलोचना पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. गुडडी उर्फ कृष्णा पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सरस्वती पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. शान्ति पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. इन्द्रा देवी पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. पृथ्वीसिंह पुत्र लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. महावीर पुत्र लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. रणवीर सिंह पुत्र लिछमा देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 389 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 89/88 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:22 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर